

## प्रेसनोट दिनांक 14.07.2021

1. दिनांक 13.07.21 को वादी श्री वासुदेव पुत्र बहोरी नि० फतेहपुर सरैया थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 42 वाई 9549 का चालक नितीश पुत्र सुरेश सिंह नि० फतेहपुर रायपुर थाना कैण्ट अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर चोटें आना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 279/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री मो० अमीन थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मुन्ना यादव पुत्र स्व० दलसिंगार यादव नि० विसवलदलपतपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 253/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री सैयद तनवीर हैदर थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश पुत्र रामअभिलाख नि० कपासी थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 320/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिवनाथ पुत्र बासुदेव नि० छतई का पुरवा कोटडीह थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 321/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री चन्द्रशेखर यादव थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामनरायण पुत्र भेजूराम नि० रसूलपुर थाना रौनाही अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 322/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल कुमार सिंह पुत्र अरबिन्द सिंह नि० खेमा सराय थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 1 तमंचा 12 बोर तथा 02 जिन्दा कारतुस नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 170/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना तारुन अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल कुमार सिंह पुत्र अरबिन्द सिंह नि० खेमा सराय थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 171/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 13.07.21 को वादी म०उ०नि० नेहा इसरार खां थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामधनी पुत्र घिसियावन नि० मुगीशपुर थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 370/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री अमित कुमार द्वारा सूचना दिया गया कि ज्ञानेन्द्र पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय नि० सिधौना थाना कुमारगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 371/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री हरिकेश कुमार थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सर्वेश कुमार पुत्र ननकउ नि० दौलतपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 372/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री शैलेश त्रिवेदी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू पुत्र नाथूराम नि०दौलतपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 373/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 13.07.21 को वादी उ०नि० श्री राजकुमार यादव थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश कुमार पुत्र रेगई नि० पारा धमथुआ थाना कुमारगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु०अ०सं० 228/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।